

**भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद**  
**अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110029**

सं. 6-2(9)/2024-स्था.

दिनांक: 24.02.2025

**कार्यालय आदेश**

\*\*\*\*\*

विषय: एलडीसीई प्रणाली के माध्यम से सहायक के पद पर पदोन्नति-के संबंध में।

एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से दिनांक 08.12.2024 को आयोजित की गई सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर, गुणवत्ता क्रम में, रिक्ति पदों की स्थिति, आरक्षण पाइंट और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों (यूडीसी) को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (35,400-1,12,400 रु.) में सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क्रं.स.	कर्मचारी का नाम	श्रेणी जिसके विरुद्ध चयन किया गया	टिप्पणी
1.	Smt. Neha Taneja	अनारक्षित	----
2.	Shri. Sandeep Kumar Suman	अनारक्षित	----
3.	Shri. Jitendra Kumar	अनारक्षित	----
4.	Smt. Prerna Saini	अनारक्षित	----
5.	Shri. Ajit Singh	अनारक्षित	----
6.	Shri. Ashish Mohar (SC)	अनारक्षित	अपनी योग्यता के आधार पर
7.	Shri. Ajay	अनारक्षित	----
8.	Shri. Naveen Kumar	अनारक्षित	----
9.	Shri. Shailav Anand (SC)	अनारक्षित	अपनी योग्यता के आधार पर
10.	Shri. Jitender	अनारक्षित	----
11.	Smt. Monika (SC)	अनारक्षित	अपनी योग्यता के आधार पर
12.	Shri. Vijay	अनारक्षित	----
13.	Shri. Manish Singh	अनारक्षित	----
14.	Shri. Pritam Gehlawat	अनारक्षित	----
15.	Shri. Mohammad Mazhar	अनारक्षित	----

2. उन्हें इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर पद का कार्यभार ग्रहण करने तथा ड्यूटी ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति देने का निदेश दिया जाता है। यदि 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि पदाधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है तथा किसी अन्य नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना पदोन्नति आदेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। स्वीकृति प्रस्तुत करने या अन्यथा पदोन्नति पर पद ग्रहण करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध, बाध्यकारी आधारों को छोड़कर, स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. वे पदभार ग्रहण करने की तारीख से सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे और वे भारत में कहीं भी सेवा देने के लिए बाध्य होंगे।

4. उनके वेतन सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली 2016, के अनुसार नियत किए जाएंगे।

5. पदोन्नत व्यक्तियों को पदभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर यह विकल्प देना होगा कि क्या उन्हें नए पद पर वेतन निर्धारण सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तुरंत मिले अथवा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन स्तर में उनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से मिले।

6. यदि वे अपनी पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार कर देते हैं, तो वे तब तक आगे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, जब तक कि वे पुनः पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं हो जाते।

7. निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नति पर ड्यूटी की रिपोर्ट करने में विफल रहने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा और डीओपीटी के दिनांक 1 अक्टूबर 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, वंचित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।

8. वे परिषद के तहत सेवा की सामान्य नियमों और शर्तों द्वारा शासित होंगे।

9. पदोन्नति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.06.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/11/2016-स्था.(आरक्षण-I) {भाग-II} में उल्लिखित विभिन्न मामलों में और/या आरक्षण और/या पदोन्नति में आरक्षण के मामले से संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेशों के अधीन होगी।

(रीमा शर्मा)

सहा. महानिदेशक (प्रशा.)

सेवा में,

संबंधित अधिकारी (15) – अनुरोध है कि वे कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट/पदोन्नति से इनकार, जैसा भी मामला हो, संबंधित प्रभाग प्रमुख के माध्यम से admin1.hq@icmr.gov.in और ao.rpcell@icmr.gov.in को अग्रेषित करें।

**प्रतिलिपि:**

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/ वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/ वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक(प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक(वित्त)
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी/बिल अनुभाग, परिषद मुख्यालय
4. वरि. प्रशासन अधिकारी, परिषद मुख्यालय
5. सहा. निदेशक(रा.भा.), परिषद मुख्यालय
6. अनुभाग अधिकारी, (आरक्षण कक्ष), परिषद मुख्यालय
7. सतर्कता/लेखा अनुभाग - VI / विधिक प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय
8. नोडल अधिकारी, आरटीआई डेस्क, परिषद मुख्यालय
9. बजट/गार्ड फ़ाइल